SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA

Signed at New Delhi September 20 and 23, 2019 Entered into force December 16, 2019 With effect from September 14, 2019



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

"...the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence... of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

AGREEMENT

ON

SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the 'Parties''),

Realizing that international cooperation in science, technology and innovation for peaceful purposes will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples and will advance the state of science and technology of both countries, as well as humankind;

Sharing responsibilities for contributing to the world's future prosperity and well-being, and desiring to make further efforts to strengthen their respective national research and development policies for peaceful uses;

Considering scientific and technological cooperation is an important factor for the development of national economies;

Intending to strengthen their economic cooperation through specific and advanced technology applications;

Wishing to establish dynamic and effective bilateral cooperation between organizations and individual scientists in both countries; and

Recognizing that cooperative activities would facilitate exchange and diffusion of technologies between the countries;

Have agreed as follows:

Article I

- 1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological capabilities, including engineering, of the Parties, to broaden and expand relations between the extensive scientific and technological communities of both countries, and to promote science, technology and innovation cooperation in areas of mutual benefit, all for peaceful purposes.
- 2. The principal objectives of this cooperation are to provide opportunities to exchange ideas, information, skills, and technologies for peaceful purposes, and to collaborate on scientific and technological endeavors of mutual interest.

Article II

- 1. Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance with the applicable laws, regulations, and procedures in both countries and shall be subject to the availability of appropriated and other funds and personnel.
- 2. Should funds be made available for the purposes of this Agreement, written procedures will be developed by the Parties to govern the administration of such funds.

Article III

1. The Parties shall encourage cooperation through exchanges of scientific and technical information; exchanges of scientists and technical experts; the convening of seminars and meetings; the training of scientists and technical experts; the conduct of cooperative research projects; educational exchanges related to science, technology and engineering; the establishment of science and innovation-based public-private partnerships; the use of facilities and specific equipment, as appropriate; and other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon. None of the activities undertaken under this Agreement will relate to the development or use of nuclear, chemical or biological weapons, rocket systems, unmanned air vehicle systems, or to high-resolution remote sensing capabilities.

- 2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources.
- 3. Priority will be given to collaborations that can advance common goals in science and engineering research, innovation and education, support partnerships between public and private research institutions and industry, and other mutually beneficial science and technology issues as agreed by the parties.
- 4. This Agreement does not preclude or preempt other forms of cooperation between the Parties under separate arrangements.

Article IV

- 1. The Parties shall encourage and facilitate, where appropriate, the development of contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of both countries.
- 2. Government agencies of the Parties may conclude under this Agreement implementing agreements or arrangements, as appropriate, in specific areas of science, technology, engineering and innovation. These implementing agreements or arrangements shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for personnel exchanges or program participants, procedures for transfer and use of materials, equipment and funds, and other relevant issues such as intellectual property rights as in Annex 1.
- 3. The Parties may designate other entities, including universities, research centers, institutions, and private sector companies, to carry out activities under this Agreement. Such entities may, with the approval of the Parties, enter into implementing arrangements, as appropriate, in specific areas of science and technology. These implementing arrangements shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for personnel exchanges or program participants, procedures for transfer and use of materials equipment and funds, and other relevant issues such as intellectual property rights.

4. In case of any inconsistent or ambiguous provisions in an implementing agreement or arrangement, the provisions of this Agreement shall prevail, unless the Parties otherwise agree in writing.

Article V

Scientists, technical experts, government agencies and institutions of third countries or international organizations may, in appropriate cases, be invited by agreement of the Parties to participate at their own expense, unless otherwise agreed, in projects and programs being carried out under this Agreement.

Article VI

- 1. The Parties agree to consult periodically and at the request of either Party concerning the implementation of the Agreement and the development of their cooperation. The Parties shall establish a Joint Committee to coordinate, facilitate, and review cooperative activities under this Agreement, composed of representatives designated by the Parties. The Joint Committee shall be co-chaired by a designated official of the Department of State of the Government of the United States and designated official of the Department of Science & Technology, Government of the Republic of India. The Joint Committee will ordinarily meet once in two years, or as needed, through any appropriate means agreed to by the Parties, including in person or through electronic means. In-person meetings of the Joint Committee shall alternate between India and the United States, or as agreed to by the Parties.
- 2. Each Party shall also designate an Agreement Coordinator to conduct administrative affairs and, as appropriate, to provide oversight and coordination of activities under this Agreement, including administration of any funds that may be made available for the purposes of this Agreement, as described in Article II(2).

Article VII

- 1. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Agreement, other than information that may not be disclosed for national security, legal, commercial or industrial reasons, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities. No warranty of suitability of information exchanged under this Agreement is implied or given.
- 2. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement is provided for in Annex I, which shall apply to all activities conducted under this Agreement unless agreed otherwise by the Parties or their designees in writing.
- 3. Protected information or equipment shall not be transferred under this Agreement. Annex II provides for the protection of any such information or equipment identified in the course of cooperation under this Agreement and provides for the handling in accordance with the relevant laws and regulations of each Party of unclassified export-controlled information or equipment transferred under this Agreement.

Article VIII

- 1. Each Party shall facilitate, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party, as well as other materials, data and specimens used or engaged as part of projects and programs under this Agreement.
- 2. Each Party shall facilitate, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, prompt and efficient access of persons of the other Party participating in cooperative activities under this Agreement to its relevant geographic areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers, as needed to carry out those activities.

- 3. Each Party shall facilitate and encourage, as appropriate and in accordance with its laws and regulations, the exchange of material and equipment considered necessary to carry out science and technology cooperation provided for under this Agreement.
- 4. Commodities, which for this Agreement include any material, article, supplies, goods, or equipment, provided by the sending Party for carrying out joint activities under this Agreement shall be considered scientific and not having a commercial character. The receiving Party shall work toward obtaining duty-free entry for such commodities in accordance with its national laws and regulations. The sending Party shall provide sufficient advance notice for any such commodities used in joint activities under this agreement to enter under these terms.

Article IX

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

Article X

1. This Agreement shall enter into force when the Parties notify each other, through written diplomatic channels, of the completion of their respective national legal requirements necessary for the entry into force of this Agreement, with effect from September 14, 2019. The date of last notification will be deemed to be the date of entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall be automatically extended for further ten-year periods, unless either Party objects to such extension in writing at least six (6) months prior to the date it is otherwise due to expire.

- 2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six (6) months' written notice to the other Party. Unless otherwise agreed, termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooperative activity carried out under this Agreement and not completed upon termination of this Agreement. Notwithstanding the termination of this Agreement, the obligations set forth in Annexes I and II shall continue to apply without respect to time, unless otherwise agreed in writing by the Parties.
- 3. This Agreement may be amended at any time through the written agreement of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi, in duplicate, in the English and Hindi languages, each text being equally authentic. In case of ambiguity the English language version takes precedence.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA:

Dota: Santa den 20 2019

Date: September 27, 2019

ANNEX I

INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article VII(2) of this Agreement:

I. General Obligation

The Parties shall provide measures to ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion of any intellectual property including inventions and copyrighted works, arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

- A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.
- B. For purposes of this Agreement, the term "intellectual property" shall mean subject matter listed in Article 1 of the TRIPS Agreement which refers to all categories of intellectual property that are subject to Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPS Agreement and may include other subject matter as agreed by the Parties. The Parties also recognize that scientific discoveries shall be subject to the terms of this Agreement, to the extent that they are protected by the domestic laws of either Party.
- C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its participants, which shall be determined by that Party's laws and practices.

- D. Except as otherwise provided in this Agreement, disputes concerning intellectual property, scientific discoveries or any other subject matter related to this annex shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.
- E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

III. Allocation of Rights

- A. Each Party shall be entitled to a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to translate, reproduce, and publicly distribute monographs, scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this Agreement shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.
- B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III. A above, shall be allocated as follows:
 - (1) Prior to participation in cooperative activities under this Agreement by a visiting researcher, the host Party or its designee and the Party or its designee employing or sponsoring the visiting researcher may discuss and determine the allocation of rights to any intellectual property created by the visiting researcher. Absent such a determination, the visiting researchers or employing or sponsoring Party, or its designee shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the host institution. For purposes of this Agreement, a visiting researcher is a researcher visiting an institution of the other Party (host institution) and engaged in work planned solely by the host institution.

- (2) (a) In cases other than those covered by Paragraph III(B)(1) where research is carried out solely and separately by persons employed or sponsored by one party or the research results are obtained through the sole and separate effort of one Party, any ownership of the IP created rests with that Party. In cases where research is carried out jointly by persons employed or sponsored by the Parties or the research results are obtained through joint effort of the Parties, any ownership of the IP created rests jointly with the Parties. In addition, each inventor or creator shall be entitled to awards, bonuses, and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.
 - (b) Unless otherwise agreed in an implementing or other arrangement, each Party shall have within its territory a right to exploit and allow others to exploit intellectual property created in the course of the cooperative activities.
 - (c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering inter alia, the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property, and such other factors deemed appropriate.
 - (d) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the invention promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of nine months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

C. Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a) and (b) above, if either Party believes that a particular project is likely to lead to or has led to a scientific discovery or other form of intellectual property not protected by the laws of the other Party, the Parties shall immediately hold discussions to determine the allocation of rights to the discovery or other form of intellectual property. If an agreement cannot be reached within three months of the date of the initiation of the discussions, cooperation on the project in question may be suspended at the request of either Party. If an agreement cannot be reached within six months of the date of the initiation of the discussions, then cooperation on the project in question may be terminated at the request of either Party. Parties are strongly encouraged to seek the advice of the Joint Committee prior to any request to terminate cooperation in this situation. No publication or public disclosure will occur during the period of discussions. Creators of the discovery or other form of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a)

IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

ANNEX II

SECURITY OBLIGATIONS

I. Protection of Sensitive Technology

Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the interest of national defense or foreign relations or classified in accordance with its applicable national laws and regulations shall be provided under this Agreement. In the event that information or equipment which is known or believed to require such protection is identified in the course of cooperative activities pursuant to this Agreement, it shall be brought immediately to the attention of the appropriate officials, and the Parties shall consult to identify appropriate security measures to be agreed upon by the Parties in writing and applied to this information and equipment and shall, if appropriate, amend this Agreement to incorporate such measures.

II. Technology Transfer

The transfer of any technology including unclassified exportcontrolled information or equipment between the Parties shall be in accordance with the relevant laws and regulations of each Party. If either Party deems it necessary, detailed provisions for the prevention of unauthorized transfer or retransfer of such information or equipment shall be incorporated into the contracts or implementing arrangements. Export controlled information shall be marked to identify it as export controlled and identify any restrictions on further use or transfer.

संयुक्त राज्य अमरीका सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग विषयक करार

संयुक्त राज्य अमरीका सरकार और भारत गणराज्य सरकार (इसमें इसके बाद इन्हें 'पक्षकार' कहा गया है) ,

यह समझते हुए कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों देशों के बीच मित्रता और मेल - मिलाप के संबंध को मजबूत करेगा और दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ - साथ मानवजाति की स्थिति को उन्नत करेगा ,

विश्व के भविष्य की समृद्धि और भलाई में योगदान से संबंधित जिम्मेदारियों को साझा करते हुए, और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अपने संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास नीतियों की मजबूती के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा करते हुए,

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को महत्वपूर्ण कारक मानते हुए,

विशिष्ट और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने आर्थिक सहयोग की मजबूत करने का इरादा करते हुए,

दोनों देशों में संगठनों और व्यक्तिशः वैज्ञानिकों के बीच सक्रिय और प्रभावी द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करने की कामना करते हुए , तथा

यह स्वीकार करते हुए कि सहकारी क्रियाकलापों से दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान और प्रसार सुकर होगा ;

निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद ।

- 1. इस करार का प्रयोजन पक्षकारों की अभियांत्रिकी सहित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को मजबूत करना, दोनों देशों के व्यापक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय समुदाय के मध्य संबंध बढ़ाना और उनमें विस्तार करना और सभी शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग की बढ़ावा देना है।
- 2. इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए विचारों सूचना, कौशल और प्रौद्योगिकी का आदान - प्रदान करने का अवसर प्रदान करना और पारस्परिक हित के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रयासों में सहयोग करना है।

अनुच्छेद ॥

- 1. इस करार के तहत सहयोगपरक क्रियाकलाप दोनों देशों में लागू कानूतों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित किए जाएंगे और विनियोजित तथा अन्य निश्चियों और कार्मिकों की उपलब्धता के अध्यक्षीन होंगे।
- 2. यदि इस करार के प्रयोजनों के लिए निधियां उपलब्ध करायीं जाती हैं तों , ऐसी निधियों की देखभाल को अभिशासित करने के लिए पक्षकारों द्वारा लिखित प्रक्रियाएं निर्मित की जाएंगी।

अनुच्छेद ॥

- 1. पक्षकार वैज्ञानिक और प्रविधिक सूचना के आदान प्रदान , वैज्ञानिक एवं प्रविधिक विशेषज्ञों के आदान प्रदान , वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों के आदान प्रदान , गोष्टियों और वैठकों के आयोजनः वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण , सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन , विज्ञान , प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी से संबंधित शैक्षिक आदान प्रदान , विज्ञान और नवप्रवर्तन आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी की स्थापना , सुविधा केंद्रों और विशिष्ट उपकरणों के , जैसा उपयुक्त हो , उपयोग ; और पारस्परिक रूप से सहमति से प्राप्त किए जा सकने वाले अन्य प्रकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को प्रोत्साहिंत करेंगे। इस करार के तहत किए गए कोई भी कियाकलाप नाभिकीय , रासायनिक या जैविक हथियारों , रॉकेट सिस्टम , मानव रहित वायुयान तंत्रों के विकास या उपयोग से या , उच्च विभेदन दूर संवेदन सामर्थ्य से संबंधित नहीं होंगे।
- 2. इस करार के अंतर्गत सहयोग साझी जिम्मेदारियों तथा न्यायसंगत योगदान एवं लाभों पर आधारित होगा जो दोनों पक्षकारों की संबंधित बैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुरूप होगा।

- 3. उन सहयोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान , नवोन्मेष तथा शिक्षा में समान लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकें , सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संस्थाओं एवं उद्योगों के बीच भागीदारी तथा पक्षकारों द्वारा यथासहमत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पारस्परिक रूप से अन्य लाभप्रद विषयों पर सहायता प्रदान कर सकें।
- 4. यह करार दोनों पक्षकारों के बीच पृथक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सहयोग के दूसरे तरीकों को प्रतिवारित अथवा पूर्व निवारित नहीं करता।

अनुच्छेद ।V

- 1. पक्षकारों द्वारा, जहाँ उपयुक्त हो, दोनों देशों की सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों, निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं के बीच संपर्क और सहयोग के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसे सुकर बनाया जाएगा।
- 2. पक्षकारों की सरकारी एजेंसियां इस करार के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और नवोन्मेष के विशिष्ट क्षेत्रों में, यथोचित, कार्यान्वयन करार या व्यवस्था कर सकती हैं। इन कार्यान्वयन करारों या व्यवस्थाओं में यथोचित रूप से, सहयोग के विषय, कार्मिकों अथवा कार्यक्रम प्रतिभागियों के आदान - प्रदान की प्रक्रियाएं, सामग्री, उपस्करों एवं निधि के अंतरण और उपयोग की प्रक्रियाएं, तथा अनुलग्नक 1 में यथावर्णित बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे।
- 3. पक्षकारों द्वारा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित अन्य निकायों को इस करार के अंतर्गत कार्यकलापों के निष्पादनार्थ विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे निकाय पक्षकारों के अनुमोदन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में यथोचित कार्यान्वयन व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इन कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में यथोचित रूप से सहयोग के विषय, कार्मिकों अथवा कार्यक्रम प्रतिभागियों के आदान प्रदान हेतु प्रक्रियाएं, सामग्री, उपकरण एवं निधि के अंतरण और उपयोग हेतु प्रक्रियाएं, तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे अन्य प्रासंगिक सुद्दे शामिल होंगे।
- 4. किसी कार्यान्वयन करार या व्यवस्था में किसी प्रकार की विसंगतिपूर्ण या अस्पष्ट उपबंधों की स्थिति में, इस करार के उपबंध तब तक अभिभावी होंगे, जब तक पक्षकार लिखित में अन्यथा सहमति न दें।

अनुच्छेद V

तीसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों सरकारी एजेंसियों तथा संस्थानों को, उपयुक्त मामलों में, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, पक्षकारों की सहमति से अपने व्यय पर, इस करार के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रहीं परियोजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

अनुच्छेद VI

- 1. पक्षकारणण आवधिक रूप से और किसी एक पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर करार के कार्यान्वयन और अपने अपने सहयोग के विकास के संबंध में परामर्श करने पर सहमत हैं। पक्षकारणण इस करार के अंतर्गत सहयोगात्मक कार्यकलापों के समन्वय, सुगमीकरण तथा समीक्षा के लिए संयुक्त समिति गठित करेंगे जिसमें पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिनिधि शामिल होगे। संयुक्त समिति की सह-अध्यक्षता यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के स्टेट डिपार्टमेन्ट के विनिर्दिष्ट अधिकारी तथा भारत गणराज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी। संयुक्त समिति व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित पक्षकारों द्वारा यथासहमत उपयुक्त तरीके से आमतौर पर दो वर्षों में एक बार या आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। संयुक्त समिति की व्यक्तिगत बैठकें बारी बारी से भारत और अमरीका में अथवा पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार होगी।
- 2. प्रत्येक पक्षकार प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने और यदि समुचित हो, अनुच्छेद ॥ (2) में वर्णित इस करार के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई जा सकने वाली किसी निधि के प्रबंध सहित इस करार के अंतर्गत कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए एक करार समन्वयकर्ता भी विनिर्दिष्ट करेगा।

अनुच्छेद VII

- 1. इस करार के अंतर्गत सहयोग से निष्पन्न हो रही गैर मालिकाना प्रकृति की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना , जो राष्ट्रीय सुरक्षा , विधिक , वाणिज्यिक या औद्योगिक कारणों से प्रकट न की जा सकनें वाली सूचना से इतर हो , को परम्परागत माध्यमों से और प्रतिभागी एजेंसियों और निकायों की सामान्य क्रियाविधि के अनुरूप विश्व वैज्ञानिक समुदाय को अन्यथा सहमत न होने तक उपलब्ध कराई जाएगी । इस करार के अंतर्गत आदान - प्रदान की गई सूचना की उपयुक्तता के संबंध में कोई वारंटी अभिप्रेत नहीं होगी या नहीं दी जाएगी ।
- 2. इस करार के अंतर्गत सहयोगात्मक कार्यकलापों के दौरान मृजित या उपलब्ध कराई गई बौद्धिक संपदा के प्रति व्यवहार अनुलग्नक- । में दिया गया है जो इस करार के अंतर्गत संचालित सभी कार्यकलापों पर तब तक लागू होगा जब तक पक्षकारों या उनके विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखित में अन्यथा सहमति न दी जाए।
- 3. इस करार के अंतर्गत रक्षित सूचना या उपकरण का अंतरण नहीं किया जाएगा। अनुलग्नक ॥ में इस करार के अंतर्गत सहयोग की प्रक्रिया में अभिज्ञात किसी ऐसी सूचना या उपकरण की रक्षा का उपबंध किया गया है और उसमें इस करार के अंतर्गत अंतरित प्रकट निर्यात नियंत्रित सूचना अथवा उपकरण को प्रत्येक पक्षकार के प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों के अनुसार काम में लाने का उपबंध शामिल है।

अनुच्छेद VIII

- 1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्यक कार्मिकों और उपकरणों के साथ साथ इस करार के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यक्रमों के भाग के रूप में प्रयुक्त अथवा इस्तेमाल हुई अन्य सामग्री, डाटा तथा स्पेसिमेन के अपने राज्य क्षेत्र में प्रवेश तथा निकास को यथोचित रूप में और अपने कानूनों एवं विनियमों के अनुसार सुकर बनाएगा।
- 2. प्रत्येक पक्षकार इस करार के अंतर्गत सहयोगपरक कार्यकलापों में भाग ले रहे दूसरे पक्षकार के व्यक्तियों को अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों, संस्थानों, डाटा, सामग्री तथा व्यष्टि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं अनुसंधानकर्ताओं तक यथोजित रूप से और अपने कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, उन कार्यकलापों का निष्पादन करने की जरूरत के हिसाब से त्वरित और कार्यसाधक ढंग से पहुँचाना सुकर करेगा।
- 3. प्रत्येक पक्षकार यथोचित रूप से और अपने कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, इस करार के अंतर्गत वर्णित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के लिए आवश्यक समझी गई सामग्री और उपकरणों के आदान - प्रदान को सकर करेगा तथा उसे प्रोत्साहित करेगा।
- 4. इस करार के अंतर्गत संयुक्त कार्यकलाप करने के लिए प्रेषक पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुएँ, जिसमें इस करार के प्रयोजनार्थ कोई सामग्री, वस्तु, आपूर्ति, माल या उपकरण शामिल हैं, वैज्ञानिक प्रकृति की मानी जाएगी और वे वाणिज्यिक विशेषता वाली नहीं मानी जाएंगी। प्राप्तिकर्ता पक्षकार अपने राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों के अनुसार ऐसी वस्तुओं की शुल्क मुक्त रूप में प्रविष्ट कराने की कार्रवाई करेगा। प्रेषक पक्षकार इस करार के अंतर्गत संयुक्त कार्यकलापों में प्रयुक्त किन्हीं ऐसी वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त अग्निम सूचना देगा ताकि इन शर्तों पर उनका आगम हो सके।

अनुच्छेद IX

इस करार के उपबंधों के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग के संबंध में पक्षकारों के बीच मतभेद उभरने की स्थिति में , पक्षकार उनका समाधान आपस में बातचीत और परामर्श करके निकालेंगे।

अनुच्छेद X

1. यह करार तभी प्रवृत्त होगा जब पक्षकारगण अपनी आवश्यक राष्ट्रीय विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने की सूचना एक - दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित में देंग, जो 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी होगा। अंतिम अधिसूचना की तिथि इस करार के प्रवृत्त होने की तिथि मानी जाएगी। यह करार दस (10) वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा और जब तक एक भी पक्षकार इसके अन्यथा अवसान होने की नियत तिथि से कम-से-कम छः (6) महीने पहले लिखित में ऐसे अवधि - विस्तार पर आपित नहीं करेगा तब तक इसकी अवधि अपने आप अगले दस वर्ष तक बढ़ जाएगी।

2. इस करार को एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को छः (6) माह के लिखित नोटिस देने पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, इस करार के समाप्त होने से इसके अन्तर्गत निष्पादित और इस करार के समापन पर अधूरी किसी भी सहयोगात्मक गतिविधि के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक कि पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, तब तक इस करार के समाप्त होने के बावजूद, अनुलग्नक । तथा ॥ में वर्णित दायित्व, समय का ध्यान रखे बिना लागू होते रहेंगे।

3 . इस करार को दोनों पक्षकारों की लिखित सहमित से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने अपनी - अपनी सरकारों से विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह करार नई दिल्ली में अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषाओं में दो मूल पाठों में सम्पन्न हुआ, दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा। इस करार के दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

कृते संयुक्त राज्य अमेरिका सर्कार कृते भारत गणराज्य सरकार

तिथि: Acit timber 20 2019

तिथि: September 23, 2019

अनुलग्नक ।

बौद्धिक संपदा इस करार के अनुच्छेद VII (2) के अनुसरण में :

1. सामान्य दायित्व

दोनों पक्षकार इस करार तथा अनुप्रयोज्य कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के अंतर्गत सृजित अथवा प्राप्त बौद्धिक संपद्मा की पर्याप्त और प्रभावकारी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगे। दोनों पक्षकार इस करार के तहत उत्पन्न आविष्कारों और कॉपीराइट वाली कृतियों सहित किसी भी बौद्धिक संपद्म के बारे में समयबद्ध ढंग से एक दूसरे को सूचित करने और इस प्रकार की बौद्धिक संपद्म की समयबद्ध ढंग से रक्षार्य अनुरोध करने पर सहमत हैं। इस प्रकार की बौद्धिक संपद्म पर अधिकारों का नियतन इस अनुलग्नक में यथा उपबंधित ढंग से किया जाएगा।

II कार्यक्षेत्र

क . यह अनुलग्नक, दोनों पक्षकारों अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अन्यथा सहमत होने के सिवाय, इस करार के अनुसरण में आरंभ किए गए सभी सहयोगात्मक कार्यकलापीं पर लागू होगा।

ख . इस करार के प्रयोजनार्थ , "बौद्धिक संपदा 'शब्द से टीआरआईपीएस करार के अनुच्छेद 1 में सूचीबद्ध विषयवस्तु अभिप्रेत होगी जिससे उन सभी श्रेणियों की बौद्धिक संपदा का बोध होता है जो टीआरआईपीएस करार के भाग ॥ के खंड 1 से खंड 7 के अध्यधीन हैं और दोनों पक्षकारों की सहमति पर 'बौद्धिक सम्पदा 'शब्द में अन्य विषयवस्तु भी शामिल की जा सकती हैं। पक्षकार यह भी मानते हैं कि वैज्ञानिक खोज उस सीमा तक इस करार की शर्तों के अध्यधीन होगी जहाँ तक वह प्रत्येक पक्षकार के घरेनू कानूनों द्वारा रक्षित होगी।

ग . प्रत्येक पक्षकार , यदि आवश्यक हो तो , अपनी स्वयं की भागीदारी के साथ संविदाओं अथवा अन्य विश्विक उपायों के जरिए , यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य पक्षकार इस अनुलग्नक के अनुसार नियतनशुदा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त कर सकता है । यह अनुलग्नक किसी पक्षकार और इसके प्रतिभागियों के बीच उस नियतन को अन्यथा परिवर्तित अथवा प्रभावित नहीं करता जिसका निर्धारण उस पक्षकार की विधियों एवं कार्य पद्धतियों से किया गया हो ।

घ . इस करार में दी गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर बौद्धिक संपदा , वैज्ञानिक खोज अथवा इस अनुलग्नक से संबंधित किसी अन्य विषयवस्तु से जुड़े विवाद का समाधान संबंधित प्रतिभागी संस्थाओं या, यदि आवश्यक हो तो, पक्षकारों या उनके नामितियों के बीच परामर्श करने के जरिए किया जाएगा। पक्षकारों की परस्पर सहमति होने पर , विवाद को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुप्रयोज्य नियमों के अनुसार , वाध्यकारी मध्यस्थता के लिए माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

। जब तक पक्षकारगण अथवा उनके नामिती लिखित रूप से अन्यथा सहमत नहीं होंगे तब तक यूएनसीआईटीआरएएल के माध्यस्थम नियमों का अभिशासन रहेगा ।

(ङ) इस करार की समाप्ति या अवसान होने से इस अनुलग्नक के तहत अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

॥ . अधिकारों का निर्धारण

(क) प्रत्येक पक्षकार इस करार के तहत सहयोग से प्रत्यक्षतः आविर्भूत हो रहे मानोग्राफों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिका के लेखों, रिपोटों और पुस्तकों का अनुवाद, पुनः प्रकाशन एवं सार्वजनिक रूप से वितरण करने के लिए विश्वव्यापी, अनन्य, अपरिवर्तनीय रॉयल्टी मुक्त अनुज्ञित का हकदार होगा। जब तक कोई लेखक अपना नाम उल्लिखित किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से अनिच्छा व्यक्त नहीं करते तब तक इस करार के तहत निर्मित सुरक्षित स्वत्व वाली रचना की सार्वजनिक रूप से वितरित सभी प्रतियों में रचना के लेखकों के नाम उल्लिखित होते रहेंगे।

(ख) उपर्युक्त पैरा III . क में वर्णित उन अधिकारों को छोड़कर सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा पर अधिकार इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे :

- (1) इस करार के तहत सहकारी क्रियाकलापों में किसी अतिथि शोधकर्ता की भागीदारी से पहले .
 मेजबान पक्षकार अथवा इसके नामिती और अतिथि शोधकर्ता को नियोजित अथवा प्रायोजित कर रहे पक्षकार अथवा इसके नामिती अतिथि शोधकर्ता द्वारा मृजित किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्धारण पर चर्चा अथवा उसका निर्णय कर सकते हैं। ऐसा अवधारण न होने पर अतिथि शोधकर्ता अथवा नियोजक अथवा प्रायोजक पक्षकार अथवा इसका नामिती मेजबान संस्था की नीतियों के अनुसार अधिकार , पुरस्कार , लाभांश और रॉयल्टी प्राप्त करेगा। इस करार के प्रयोजनार्थ , अतिथि शोधकर्ता अन्य पक्षकार (मेजबान संस्था) की संस्था में पधारने वाला शोधकर्ता होता है और एकमात्र मेजबान संस्था द्वारा आयोजित कार्य में रत रहता है।
- (2) (क) पैरा ॥ (ख) (1) में वर्णित मामलों को छोड़कर, उन मामलों में जहाँ शोध एक पक्षकार द्वारा नियोजित अथवा प्रायोजित व्यक्तियों द्वारा एकल रूप से और पृथक् रूप से निष्पादित किया जाता है अथवा एक पक्षकार के एकल एवं पृथक प्रयास के माध्यम से शोध परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ सुजित बौद्धिक संपदा का स्वामित्व उस पक्षकार के पास रहता है। उन मामलों में, जहाँ शोध पक्षकारों द्वारा नियोजित अथवा प्रायोजित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है अथवा शोध परिणाम पक्षकारों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ मृजित बौद्धिक संपदा का स्वामित्व पक्षकारों के पास संयुक्त रूप से रहता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आविष्कारक अथवा मृजनकर्ता उस। उस व्यक्ति को नियोजित अथवा प्रायोजित कर रही संस्था की नीतियों के अनुसार पुरस्कार, लाभांश एवं रॉयल्टी का हकदार होगा।

(ख) किसी कार्यान्वयन अथवा अन्य व्यवस्था में अन्यथा सहमत नहीं होने तक , प्रत्येक पक्षकार को अपने राज्य क्षेत्र के अंदर सहकारी क्रियाकलापों के सिलिसिले में सृजित बौद्धिक संपदा का उपयोग करने और दूसरों को इसका उपयोग करने देने का अधिकार होगा।

(ग) अपने राज्य क्षेत्र के बाहर किसी पक्षकार के अधिकार का अवधारण अन्य बातों के साथ साथ सहकारी क्रियाकलाओं में पक्षकारों और उनके प्रतिभागियों के सापेक्ष सहयोग, विधिक संरक्षण प्राप्त करने में प्रतिबद्धता की तीव्रता और बौद्धिक संपदा की अनुज्ञप्ति प्रदान करने, और समुचित माने गए ऐसे अन्य कारकों पर विचार करते हुए पारस्परिक सहमति द्वारा किया जाएगा।

(घ) किसी सहकारी क्रियाकलाप के तहत किए गए प्रत्येक आविष्कार के लिए, आविष्कारक (आविष्कारकों) को नियोजित अथवा प्रायोजित कर रहा पक्षकार किसी अन्य पक्षकार के साथ उस आविष्कार के बारे में आवश्यक प्रलेखन एवं सूचना के साथ तत्काल प्रकटन करेगा ताकि अन्य पक्षकार किसी अधिकार पर अपना संभावित हुक प्रमाणित कर सकें। कोई पक्षकार आविष्कार में अपने अधिकारों को रक्षित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे प्रलेखन अथवा सूचना के प्रकाशन अथवा सार्वजनिक प्रकटन को विलंबित करने के लिए अन्य पक्षकार से लिखित रूप में कह सकता है। लिखित में अन्यथा सहमत नहीं होने तक, विलंब का समय आविष्कारक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रकटन करने की तारीख से नौ माह की अविध से अधिक नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्त पैरा ॥ ख (2) (क) और (ख) के होते हुए भी, यदि कोई पक्षकार यह मानता हैं कि किसी विशेष परियोजना के फलस्वरूप अन्य पक्षकार की विधियों द्वारा अरक्षित बौद्धिक संपदा का सृजन होने की संभावना है अथवा उसका मृजन हुआ है, तो पक्षकार गण खोजों या बौद्धिक संपदा पर अधिकारों के नियतन को अवधारित करने के लिए तत्काल विचार - विमर्श करेंगे। यदि कोई सहमति चर्चा शुरू करने की तारीख से तीन माह के अंदर नहीं हो सकती, तो विचाराधीन परियोजना पर सहयोग किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर स्थिति किया जा सकता है। यदि कोई सहमति चर्चा शुरू करने की तारीख से छः माह के अंदर नहीं हो सकती, तो विचाराधीन परियोजना पर सहयोग किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर स्थानत किया जा सकता है। इस स्थिति में सहयोग समाप्त करने के किसी अनुरोध से पहले संयुक्त समिति की सलाह लेने के लिए पक्षकारों को सख्ती से प्रोत्साहित किया जाता है। चर्चा के दौरान कोई प्रचार अथवा सार्वजनिक प्रकटन नहीं किया जाएगा। तथापि, बौद्धिक संपदा की खोज या इसके दूसरे प्रकार के सृजनकर्ता पैरा ॥ ख (2) (क) में यथा उपबंधित पुरस्कार, लाभांश एवं राँयल्टी के हकदार होंगे।

IV . व्यवसाय संबंधी गोपनीय सूचना

यदि व्यवसाय संबंधी गोपनीय के रूप में समयबद्ध ढंग से अभिज्ञात सूचना इस करार के तहत प्रस्तुत अथवा तैयार की जाती है, तो प्रत्येक पक्षकार और इनके प्रतिभागी अनुप्रयोज्य विधियों, विनियमों और प्रशासनिक कार्य पद्धतियों के अनुसार ऐसी सूचना को रक्षित रखेंगे। यदि सूचना धारित करने वाला व्यक्ति इससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है अथवा सूचना धारित नहीं करने वाले व्यक्ति की तुलना में फायदा हासिल कर सकता है तथा सूचना सामान्य रूप से ज्ञात नहीं है अथवा अन्य स्रोतों से सार्वजनिक रूप में उपलब्ध नहीं है तथा इसके धारक ने सूचना गोपनीय रखने का समयबद्ध ढंग से कोई दायित्व डाले बिना इसे पहले उपलब्ध नहीं कराया है तो सूचना "व्यवसाय संबंधी गोपनीय" के रूप में अभिज्ञात की जा सकती है।

अनुलग्नक ॥

सुरक्षा संबंधी बाध्यताएं

।. संवेदनशील प्रौद्योगिकी रक्षण

दोनों पक्षकार इस बात पर सहसत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विर्देश से संबंध के हित में गोपनीयता के रक्षण की अपेक्षा वाली अथवा अपनी अनुप्रयोज्य राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुसार गुप्त कोई सूचना अथवा उपस्कर इस करार के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यदि कोई सूचना अथवा उपस्कर जिसके लिए ऐसे रक्षण की अपेक्षा होने का ज्ञान अथवा विश्वास हो, इस करार के अनुसरण में सहकारी क्रियाकलापों के दौरान अभिज्ञात है तो इसे समुचित अधिकारी के ध्यान में अविलंब लाया जाएगा और पक्षकारगण इस सूचना और उपस्कर पर दोनों देशों की लिखित सहमति किए जाने वाले तथा लागू किए जाने वाले समुचित सुरक्षोपायों को अभिज्ञात करने के लिए परामर्श करेंगे और समुचित होने पर ऐसे उपायों को अंतर्विष्ट करने के लिए इस करार में संशोधन करेंगे।

॥ . प्रौद्योगिकी अंतरण

पक्षकारों के बीच प्रकट निर्यात नियंत्रित सूचना अथवा उपस्कर सहित किसी प्रौद्योगिकी का अंतरण प्रत्येक पक्षकार की अनुप्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अनुसार होगा। यदि एक भी पक्षकार इसे आवश्यक समझता है तो ऐसी सूचना अथवा उपस्कर के अप्राधिकृत अंतरण अथवा पुनः अंतरण के निवारण के लिए विस्तृत उपबंध संविदाओं अथवा कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में उल्लिखित किए जाएंगे। निर्यात नियंत्रित सूचना पर निशान बनाया जाएगा ताकि इसे निर्यात नियंत्रित के रूप में चिहिनत किया जा सके और इसके अगले उपयोग अथवा अंतरण पर कोई प्रतिबंध रहने का अभिज्ञान हो सके।